



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 2006

माद्रपद 27, 1928 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1149/सात-वि-1-01 (क) 28-2006

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2006) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 1976 की
धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(9) ‘लेखा वर्ष’ का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि से है।”

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (3) में शब्द “विहित प्रपत्र में” के स्थान पर शब्द “आवेदन-पत्र प्राप्त करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर विहित प्रपत्र में” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“(3-क) जहाँ उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार का समाधान न हो वहाँ वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है और आवेदक को ऐसे कारणों, जिनके आधार पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो, सहित उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचित करेगा।”

(ग) उपधारा (4) में, शब्द “एक वर्ष” के स्थान पर शब्द “दस वर्ष” रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द “यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपये या इससे अधिक हो, चेक द्वारा दिया जायेगा,” के स्थान पर शब्द “यदि ऐसे उधार की धनराशि दो हजार पाँच सौ रुपया या इससे अधिक हो, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा दिया जायेगा” रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

साहूकारी कारबार के विनियमन और साहूकारी के रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया है। सर्राफा एसोसिएशन उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधनों की मांग कर रहा था। इस निमित्त की गयी मांगों पर विचार करने के पश्चात् “लेखा वर्ष” को परिभाषित करने, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता को एक वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने, किसी आवेदन को अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अस्वीकृत करने हेतु रजिस्ट्रार को सशक्त करने और किसी साहूकार द्वारा अग्रिम में दी गयी धनराशि यदि एक हजार रुपये या उससे अधिक के स्थान पर दो हजार पाँच सौ रुपये या उससे अधिक हो, तो साहूकार द्वारा चेक द्वारा दिया जायेगा, की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव

No. 1149/VII-V-1-01 (ka)-28-2006

Dated Lucknow, September 18, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahukari Viniyaman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 15, 2006.

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF MONEY-LENDING
(AMENDMENT) ACT, 2006
(U.P. Act No. 27 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending
Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|--|--|
| <p>1. This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 2006.</p> | <p>Short title</p> |
| <p>2. In section 3 of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (8) following clause shall be inserted, namely:—</p> <p>“(9) “Year of account” means a period of twelve months commencing on the first day of April of a Calendar year.”</p> | <p>Amendment of section 3 of U.P. Act no. 29 of 1976</p> |
| <p>3. In section 7 of the principal Act,—</p> <p>(a) in sub-section (3) for the words “ in the prescribed form” the words “in the prescribed form within 60 days from the date of receipt of the application” shall be substituted;</p> <p>(b) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely:—</p> <p>“(3-a) Where the Registrar is not satisfied under sub-section (3) he may reject an application for the reasons to be recorded and shall inform the applicant within the period specified in the said sub-section along with the reasons on account of which the application has been rejected.”</p> <p>(c) in sub-section (4) for the words “one year” the words “Ten years” shall be substituted.</p> | <p>Amendment of section 7</p> |
| <p>4. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) for the words “shall be evidenced by a cheque, if the amount of such loan is one thousand rupees or more” the words “shall be evidenced by an account payee cheque, if the amount of such loan is two thousand five hundred rupees or more” shall be substituted.</p> | <p>Amendment of section 14</p> |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976 has been enacted to provide for the regulation of money lending transactions and for the registration of money-lending and for matters connected there with or incidental thereto. The Sarapha Association was demanding for certain amendments in the said Act. After considering the demands made in this behalf it has been decided to amend the said Act, to define ‘Accounting year’, to increase the validity of registration certificate from one year to ten years, to empower the Registrar to reject an application for the reasons to be recorded and to provide that a money lender shall be evidenced by a cheque if the amount of the loan advanced by a money lender is two thousand five hundred rupees or more instead of one thousand rupees or more.

The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
R.M. CHAUHAN
Pramukh Sachiv.